# न्यायालयः प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर, (म.प्र.) (समक्ष – सैफी दाऊदी)

विविध व्यवहार प्रकरण क. 13/17 हि.वि.अधि.

संस्थित दिनांक 25.04.17

सी.एन.आर. नंबर एम.पी.6706000284/2017

केस.नंबर आर.सी.एस.एच.एम./2/2017

अर्पिता पत्नि मनीष, पुत्री अशोक प्रसाद, जाति ब्राम्हण आयु 32 वर्ष, व्यवसाय शासकीय सेवक, निवासी संजय नगर मुरार, ग्वालियर हाल मुकाम पिता गृह रास की गली चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

आवेदक

#### विरुद्ध

मनीष पुत्र शंभू दयाल भारद्वाज जाति ब्राम्हण, आयु 38 वर्ष, व्यवसाय शासकीय सेवक, निवासी 331 संजय नगर, मुरार ग्वालियर म.प्र.

अनावेदक

\_\_\_\_\_

आवेदक द्वारा अनावेदक द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

श्री आदित्य कुमार चौरसिया।

\_\_\_\_\_

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)

- 1. आवेदक अर्पिता ने वर्तमान याचिका अनावेदक मनीष के विरूद्व धारा 13 ख हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 के अधीन संयुक्त रूपेण विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत कर उभयपक्ष के मध्य हिन्दू रीति रिवाज से अनुष्ठापित विवाह दिनांक 21.05.2011 को शून्य घोषित करने की सहायता हेतु प्रस्तुत की है।
- 2. उभयपक्ष के मध्य हिन्दू रीति रिवाज अनुसार विवाह संपन्न होना निर्विवादित तथ्य है तथा उक्त आवेदन पत्र उभयपक्ष की ओर से पारस्परिक सहमति से

संयुक्त हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया, जिससे प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने हेतु हेतु उभयपक्ष एक—दूसरे के विरूद्ध आवेदक तथा अनावेदक रहेंगे।

- 3. संक्षिप्त संयुक्त रूपेण प्रस्तुत याचिका के अभिवचन इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.05.11 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार उभयपक्ष के मध्य विधिवत विवाह संपन्न हुआ। उभयपक्ष निःसंतान हैं। विवाह उपरांत आवेदक लगभग दो वर्ष तक ससुराल में रही। उभयपक्ष के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण आवेदक इस बात को सहन करती रही, किन्तु मतभेद बढ़ते रहे। उभयपक्ष के मध्य लगभग तीन वर्ष से अत्यधिक मतभेद उत्पन्न होकर अनबन रहती थी और उनके मध्य तीन वर्ष से पति—पत्नि के संबंध स्थापित नहीं होकर उभयपक्ष अलग—अलग निवास कर रहे हैं।
- 4. उभयपक्ष के मध्य वैचारिक मतभेद उत्तरोत्तर बढ़कर उनके मध्य दूरियां स्थापित हो चुकी हैं और भविष्य में उनके मध्य पित—पित्न का रिस्ता स्थापित होना संभव नहीं रहा है। इस हेतु उभयपक्ष ने अनेक बार अपने रिस्तेदारों के माध्यम से चर्चा एवं बैठकें की, किन्तु कोई हल नहीं निकला। अन्ततः उभयपक्ष ने पारस्परिक सहमित से विवाह—विच्छेद हेतु वर्तमान याचिका अपनी स्वतंत्र सहमित से पूर्ण सोच—विचार उपरांत प्रस्तुत की है, जिसमें की दुरूभि संधि नहीं है। विवाह विच्छेद उपरांत आवेदक अनावेदक से कोई भरण पोषण की मांग नहीं करेगी न ही अनावेदक से संपत्ति बाबत कोई विवाद ही उत्पन्न करेगी। उभयपक्ष ने विवाह के समय उपहार स्वरूप दिये गये सामान को आदान प्रदान कर लिया है। अनावेदक भी भविष्य में आवेदक के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा। उभयपक्ष आपसी सहमित से उनके मध्य अनुष्टापित हुए विवाह के विच्छेद की डिकी प्राप्त करना चाहते हैं।
- 5. न्यायालय की क्षेत्राधिकार एवं न्याय शुल्क का अभिवचन कर प्रार्थित अनुतोष के संबंध में डिकी पारित किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।
- 6. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी याचिका के अभिवचन के आलोक में यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :—
  - 1. क्या उभयपक्ष के मध्य दिनांक 21.05.11 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार विधिवत विवाह अनुष्ठापित होकर उभयपक्ष पति—पत्नि हैं ?
  - 2. क्या उभयपक्ष याचिका पंजीबद्ध होने के दिनांक से छः माह पूर्व की अविध से ही पृथक—पृथक निवास कर रहे हैं, जिनसे उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों का स्थापन नहीं हुआ है ?
  - 3. क्या उभयपक्ष याचिका पंजीबद्ध होने के पश्चात् से छः माह बाद तक की अवधि हेतु भी पृथक—पृथक निवासरत रहे हैं, जिनसे उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों का पुनर्स्थापन नहीं हुआ है ?
  - 4. क्या, उभयपक्ष उनके मध्य अनुष्ठापित विवाह को शून्य घोषित

#### कराने के अधिकारी हैं ?

- 5. क्या उभयपक्ष पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद संबंधी आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है ? यदि हां तो
- 6. सहायता एवं व्यय ?

# साक्ष्य मूल्यांकन सह निश्कर्ष

#### अवधारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 3 :-

- 7. अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 तथ्यों से परस्पर संबद्ध होने से और एक ही साक्ष्य से संपृक्त होने से तथ्यों के साक्ष्य मूल्यांकन के सुविधा के दृष्टिकोंण से अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण समेकित रूप से किया जा रहा है।
- 8. आवेदक अर्पिता तिवारी वा.सा.1 ने अपने कथन में यह तथ्य अभिकथित किया है कि उसका विवाह दिनांक 21 मई 2011 को अनावेदक के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह पश्चात् उभयपक्ष के मध्य मतभेद रहा और निरंतर बढ़ता रहा। इसके पश्चात् उभयपक्ष तीन वर्ष से अलग—अलग रह रहे हैं। काफी प्रयास करने के पश्चात् भी वह दोनों साथ में नहीं रह सकते और अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। उभयपक्ष के मध्य प्रारंभ से ही मतभेद रहने से पति—पत्नि के संबंध स्थापित नहीं हुए, जिससे आवेदक विवाह विच्छेद चाहती है।
- 9. अनावेदक मनीष प्रति.सा.1 अपने कथन में आवेदक के कथन के अनुरूप कथन ही अभिकथित कर यह तथ्य अभिकथित करता है कि जब उभयपक्ष ग्वालियर में साथ रहते थे, तब उनके मध्य वैवाहिक जीवन के पित—पित्न के संबंध स्थापित नहीं हुए थे और न ही कभी भी उन लोगों के मध्य वैवाहिक जीवन के संबंध रहे हैं।
- 10. आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में उभयपक्ष के मध्य हिन्दू रीति रिवाज अनुसार विविधत अनुष्ठापित हुए विवाह के संबंध में विवाह का निमंत्रण पत्र, जिसे एनेक्जर 1 अंकित किया गया है और विवाह के दो फोटोग्राफ जिसे एनेक्जर 2 एवं 3 अंकित किया गया है।
- 11. एनेक्जर 1 के निमंत्रण पत्र में उभयपक्ष का नाम अंकित होकर उनके मध्य संपन्न होने वाले विवाह की तिथि 21 मई 2011 अंकित कर विवाह स्थल पदमकीर्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी, अशोकनगर होना अंकित किया गया है। अनेक्जर 2 का रंगीन छायाचित्र उभयपक्ष के मध्य हिन्दू विवाह के समय संपन्न होने वाली रस्म वरमाला को प्रकट करने वाला छायाचित्र है तथा एनेक्जर 3 का रंगीन छायाचित्र किसी वैध हिन्दू विवाह के अनुष्ठापित होने हेतु आवश्यक रस्म पाणिग्रहण को प्रकट करने वाला छायाचित्र है। उक्त दस्तावेजों की सत्यता उभयपक्ष की ओर से उस दशा में स्वीकृत है, जबकि इसे आवेदक अर्पिता द्वारा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी

अनावेदक मनीष ने किसी प्रतिकूल साक्ष्य या तथ्य द्वारा आक्षेपित नहीं किया है और स्वयं अनावेदक मनीष ने भी संयुक्त रूपेण याचिका पर अपने हस्ताक्षर अभिलिखित कर संयुक्त याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की है, वहां उक्त दस्तावेजों के आलोक में उभयपक्ष के मध्य दिनांक 21 मई 2011 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार वैध विवाह अनुष्ठापित होना प्रमाणित होता है।

- 12. उभयपक्ष वर्तमान याचिका पंजीबद्ध होने के पूर्व ही लगभग 03 वर्ष से एक दूसरे से पृथक पृथक रहना अभिकथित करते हैं। उक्त तथ्य को अनावेदक की ओर से कोई चुनौति प्रदत्त नहीं की गयी है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 ख के उपबंध अनुसार उक्त प्रावधान में उपबंधित आज्ञापक 06 माह की अवधि के संबंध में याचिका पंजीबद्ध होने के पश्चात् 06 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उक्त अवधि के दौरान अथवा उसके पश्चात् उभयपक्ष के मध्य दाम्पत्य संबंधों का स्थापन अथवा पुनर्स्थापन प्रमाणित किये जाने हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख विद्य मान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि उभयपक्ष याचिका पंजीबद्ध होने के दिनांक से छः माह पूर्व की अवधि से ही पृथक—पृथक निवास कर रहे हैं, जिनसे उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों का स्थापन नहीं हुआ है यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि उभयपक्ष याचिका पंजीबद्ध होने के पश्चात् से छः माह बाद तक की अवधि हेतु भी पृथक—पृथक निवासरत रहे हैं, जिनसे उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों का पुनर्स्थापन नहीं हुआ है।
- 13. अर्थात सरल शब्दों में उभयपक्ष के द्वारा याचिका पंजीबद्ध होने के पूर्व तथा पश्चात् की छः माह की अवधि में साथ—साथ रहना और उनके मध्य वैवाहिक संबंधों का स्थापित होना प्रमाणित नहीं है। अतः उक्तानुसार अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण प्रमाणित तथ्य के रूप में अवधारित किया जाता है।

#### अवधारणीय प्रश्न कमांक 4 एवं 5 :--

- 14. जहां अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 निर्विवादित रूप से उभयपक्ष की प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है, वहां उभयपक्ष पारस्परिक सहमित के आधार पर उनके मध्य अनुष्ठापित विवाह दिनांक 21.05.11 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी होकर पारस्परिक सहमित के आधार पर विवाह —विच्छेद की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं।
- 15. अतः अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 का निराकरण **प्रमाणित** तथ्य के रूप में अवधारित किया जाता है।

## अवधारणीय प्रश्न कमांक 6 :--

16. जहां अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत संयुक्त याचिका के संबंध में निर्विवादित रूप से प्रमाणित है, वहां उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत पारस्परिक विवाह विच्छेद हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित याचिका अंतर्गत धारा 13 ख

हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 मंजूर की जाती है और यह आज्ञप्ति पारित की जाती है कि-

- आवेदक अर्पिता एवं अनावेदक मनीष के मध्य हिन्दू विवाह रीति रिवाज अनुसार अनुष्ठापित विवाह दिनांक 21 मई 2011 को शून्य घोषित किया जाता है और उभयपक्ष के संबंध में पारस्परिक सहमति से विवाह–विच्छेद होना घोषित किया जाता है।
- निर्णय दिनांक से आवेदक अर्पिता एवं अनावेदक मनीष आपस में पति-पत्नि नहीं रहेंगे।
- उभयपक्ष के मध्य भविष्यवर्ती किसी भरण-पोषण अथवा सांपत्तिक लेनदेन एवं अन्य भविष्यवर्ती अधिकार हेत् उभयपक्ष स्वेच्छा से एक-दूसरे के प्रति किये गये अपने अधिकारों के त्यजन के आलोक में उक्त संबंधी कोई कार्यवाही एक-दूसरे के विरूद्ध करने के अधिकारी नहीं रहेंगे।
- 4. उभयपक्ष अपना–अपना पारस्परिक सहमति के आधार पर व्यय स्वयं वहन करेंगे ।
- 5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो, आंकलित की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(सैफी दाऊदी) के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.) दिनांक— 23.11.2017

(सैफी दाऊदी) प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश अशोकनगर (म.प्र.)